IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# उत्तर बिहार में महिला शिक्षा का प्रतिरूपः अकबरपुर ग्राम के परिपेक्ष्य में

डॉ. सोनी कुमारी
ग्राम–अकबरपुर, पो0–सीतलपुर, सारण

**सारांश**

प्रस्तुत प्रपत्र उत्तर बिहार सारण जिले के अकबरपुर ग्राम में महिला शिक्षा पर केन्द्रित है। यद्यपि बिहार राज्य में महिलाओं में शिक्षा के प्रति उदासीनता प्राचीन काल से विद्यमान है। शिक्षा एक ऐसा उपागम है जो समाज की सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मानव की मानसिक शक्ति के विस्तार हेतु शिक्षा एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्त्री हो या पुरूष किसी को शिक्षा से वंचित रखना उसकी मानसिक क्षमता को विकसित होने से रोक लगाना है। अर्थात् शिक्षा के द्वारा ही विश्व की आधी आबादी में आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण संभव है। जिस समाज में पुरूष एवं स्त्री की सामाजिक स्तर समान नहीं है उनमें स्त्री की साक्षरता दर निम्न है, जिसका प्रभाव उनकी समग्र साक्षरता दर पर पड़ता है। शोध प्रपत्र में साक्षरता के प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग किया गया है। यदि किसी राज्य में शिक्षा का स्तर ऊँचा है तो वहाँ आर्थिक एवं सामाजिक विकास का स्तर भी ऊँचा होगा।

संकेत शब्द– सर्वांगीण विकास, मानसिक शक्ति, मानसिक क्षमता, सशक्तिकरण, सामाजिक स्तर एवं समग्र साक्षरता।

## अध्ययन क्षेत्र

बिहार राज्य महात्मा बुद्ध तथा महावीर की तपोभूमि रही है। सम्राट अशोक साम्राज्य का गरिमामय वैभव विक्रमशीला एवं नालन्दा की बौद्धिक तथा शैक्षिक ऊँचाइयाँ राज्य के गौरव अतीत को बताता है। अध्ययन क्षेत्र उत्तर बिहार में सारण जिला के दरियापुर प्रखण्ड में अकबरपुर ग्राम अवस्थित है। यह क्षेत्र मध्यवर्ती गंगा के मैदानी भाग में स्थित हजारों वर्षों से मानव अधिवास एवं सभ्य तथा सुसंस्कृत जातियों का केन्द्र बिन्दु रहा है[1]।

इस ग्राम का भौगोलिक विस्तार $25^0$ 76′ उत्तरी अक्षांश तथा $85^0$ 04′ पूर्वी देशान्तरों का मध्य है। इसका क्षेत्रफल 83 हेक्टेयर में विस्तृत है। ग्राम के उत्तरी भाग में बेला ग्राम, जहाँ रेल पहिया कारखाना स्थित है तथा दक्षिणी सीमा गंगा नदी द्वारा सीमांकित है एवं पूर्वी भाग में माही नदी उ0–प0 से द0–पू0 की ओर प्रवाहित हो रही है तथा पश्चिम में पूर्व मध्य रेलवे लाइन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 है, जो सोनपुर से छपरा शहर को जोड़ती है। भौगोलिक रूप से यह ग्राम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार अकबरपुर ग्राम की साक्षरता दर मात्र 57.23 प्रतिशत है तथापि इस अवधि में बिहार की समग्र साक्षरता दर 61.80 प्रतिशत रही है।

## संकल्पना

किसी भी वर्ग, समुदाय, समाज या राष्ट्र के विकास की प्रथम सीढ़ी शिक्षा ही है। वर्त्तमान समय में महिला योग्यता के मापदण्ड पर तो विकास कर रही है, यद्यपि पुरूष प्रधान समाज में अभी भी सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानन्द[2] ने कहा था ''समाज रूपी गरूड़ के महिला एवं पुरूष दो पंख होते है। यदि एक पंख सबल तथा दूसरा पंख दुर्बल हो तो गगन को छूने की शक्ति कैसे निर्मित होगी''। भारतीय समाज में महिला शिक्षा के लिए सामाजिक पद्धति एवं नियमों की वृहद् परम्परा में यदि हम पुरूष प्रधान मानसिकता के मध्य अमृत मंथन की कल्पना करेंगे तो शायद ये संभव नहीं होगा।

अरस्तू के अनुसार[3] ''किसी भी राष्ट्र की स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही उस राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर है।'' प्रायः प्रत्येक साल स्त्रियों के संदर्भ में कहा जाता है या रैलियाँ निकाली जाती है, ''दहेज प्रथा बंद करो'' ''बहुओं को जलाना बंद करो'' ''गुण्डों को कड़ी से कड़ी सजा दो'', ''महिला शोषण बंद हो'' एवं ''नारी न देवी न दासी महिला– पुरूष जीवन साथी'', ''आजादी समानता एवं सुरक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, महिला को मानवी समझा जाये'' इत्यादि। निश्चय ही ये नारे नये बदलाव की पृष्ठ भूमि तैयार कर रहे है, फिर भी समाज में महिलाओं का स्तर अभी भी दोयम दर्जे पर है विशेषकर पिछड़े एवं अशिक्षित समाज में। सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजना के बावजूद भी माध्यमिक स्तर के पश्चात बालिकाओं का शैक्षिक स्तर न्यूनतर है। इसके लिए समाजिक स्तर में सुधार लाना होगा ताकि बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो।

शिक्षा महिलाओं के सर्वांगीण विकास, समाज की चर्तुमुखी उन्नति एवं सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है, शिक्षा द्वारा ही महिला को जागृत किया जा सकता है। स्त्रियों के अधिकारों व कानूनी अधिकारो की सुरक्षा हेतु संसद द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की स्थिति मजबूत करने व होने वाले निर्णयों में भागीदारी हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। शिक्षा मानव के आचार–विचार व्यवहार सभी में परिवर्त्तन कर देती है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुक्षाव देने के लिए 1958 में देशमुख समिति का गठन किया गया। इस समिति ने महिला शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिये। यद्यपि उसके विस्तार हेतु अनेक उपाय बताये। तत्पश्चात् महिला शिक्षा के संबंध में पुनः विस्तार से सुझाव देते हुये 1962 में हंसा मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति का मुख्य सुझाव था महिला एवं पुरूष की शिक्षा समान होनी चाहिए। इसके बाद कोठारी आयोग (1964–66) ने महिला–पुरूषों के लिए भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिये। साथ ही कोठारी आयोग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा हेतु आधारभूत पाठ्यचर्चा प्रस्तुत की। इसका प्रभाव हुआ कि विभिन्न प्रान्तों में स्त्री शिक्षा को विभिन्न रूप में संगठित किया गया। इन सब विषेशताओं को दूर करने के लिए 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। इस शिक्षा नीति में स्पष्ट निर्देश है कि महिला–पुरूषों की शिक्षा में कोई भेद नही किया जायेगा। महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके अलावा महिलाओं को विज्ञान, तकनीकी एवं मैनेजमेन्ट की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। वर्त्तमान में कुछ राज्यों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं तथा प्राथमिक स्तर के स्कूलों में नियुक्ति हेतु आरक्षण तक किया गया है[4]। बिहार प्रथम राज्य है जिसने पंचायतों एवं शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिये[5]। स्वतंत्रता के पश्चात् राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका एवं उनकी स्थिति पर विचार करने के बाद ''कमेटी ऑन द स्टेट्स ऑफ विमेन ऑफ इण्डिया'' (1975) ने कहा था– ''समाज एवं राजनीति में महिलाओं की स्थिति बताती है कि संविधान में उन्हे पुरूषों के समकक्ष दर्जा देकर जिस क्रान्ति की आशा की गई थी, वह अब भी दूर है ज्यादातर महिलाओं के पास अभी ऐसे प्रवक्ता नहीं है जो उनकी विशिष्ट समस्याओं को समझ सके एवं राज्य की प्रतिनिधि संस्थाओं में उनकी समस्याओं को उठाने तथा हल करने के प्रति समर्पित हो[6]।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में महिलाओं की समानता हेतु कहा गया ''शिक्षा को महिलाओं के विचार में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जायेगा। महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिए शिक्षा पद्धति एक ठोस भूमिका निभाई जायेगी एवं यह हस्तक्षेप के रूप में होगी। महिलाओं संबंधित अध्ययनों के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास से संबंधित सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा[7]।''

## अध्ययन का उद्देश्य

वर्तमान पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नांकित है :–

1. अध्ययन क्षेत्र में महिला साक्षरता का अध्ययन।
2. अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संरचना के आधार पर महिला साक्षरता दर का विश्लेषण।

## विधितन्त्र

अकबरपुर ग्राम में जनसंख्या के शैक्षणिक स्तर के अध्ययन सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण में प्राथमिक आँकड़ों का प्रयोग (2021–22) किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक समूह का चयन यादृच्छिक प्रतिदर्श (Ramdom Sampling) विधि द्वारा किया गया है। जिसमें सामान्य जाति के 08, पिछड़ा वर्ग के 23, अनुसूचित जाति 13 एवं मुस्लिम में 06 परिवारों का चयन किया गया है। तत्पश्चात् चयनित चार समूहों के प्रतिदर्श 50 परिवारों की शैक्षणिक स्तर के अध्ययन हेतु भारित मूल्यों के द्वारा गणना की गई है जो निम्न है :–

| क्र0सं0 | उप–क्रम संख्या | शैक्षणिक स्तर | भारित मूल्य |
|---|---|---|---|
| 1. | | समग्र शैक्षणिक स्तर | |
| | i. | निरक्षर | 0 |
| | ii. | प्राथमिक | 1 |
| | iii. | माध्यमिक | 2 |
| | iv. | उच्च माध्यमिक | 3 |
| | v. | स्नातक | 4 |
| | vi. | स्नातकोत्तर | 5 |
| | vii. | तकनीकी | 6 |
| 2. | | स्त्री शैक्षणिक स्तर | |
| | i. | निरक्षर | 0 |
| | ii. | प्राथमिक | 1 |
| | iii. | माध्यमिक | 2 |
| | iv. | उच्च माध्यमिक | 3 |
| | v. | स्नातक | 4 |
| | vi. | स्नातकोत्तर | 5 |
| | vii. | तकनीकी | 6 |

**विश्लेषण तथा व्याख्या**

अध्ययन क्षेत्र में अकबरपुर ग्राम में शिक्षा के स्तर में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। तालिका–01 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग में शिक्षा का स्तर बेहतर है। यहाँ प्रौढ़ों के साथ–साथ किशोर बालक–बालिका भी शिक्षित हैं। यद्यपि इनमें रूढ़िवादी विचार– धारा व्याप्त है। तथापि इस वर्ग का शैक्षणिक सूचकांक 41.49% अंकित किया गया है। अन्य तीन वर्गों में पिछड़ा वर्ग (38.55%), अनुसूचित वर्ग (32.31%) तथा मुस्लिम वर्ग (37.87%) की तुलना में सर्वाधिक शिक्षित वर्ग है। इस वर्ग में 12 प्राथमिक स्तर एवं 12 माध्यमिक स्तर, 14 उच्च माध्यमिक स्तर तथा 11 स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण किये है। इस वर्ग का शैक्षणिक स्कोर 13.97 आंकलित है। इनके पास कृषि के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। इनका सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति सुदृढ़ है। ये वर्ग प्राचीन समय से ही अन्य जातियों की अपेक्षा सम्पन्न है। इस वर्ग में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण एवं मुस्लिम जाति वर्ग के परिवार आते हैं। वही पिछड़ा वर्ग में शैक्षणिक सूचकांक 38.55% के साथ द्वितीय स्थान पर स्थित है। इनमें 53 प्राथमिक स्तर, 14 माध्यमिक स्तर, 21 उच्च माध्यमिक स्तर, 25 स्नातक स्तर तथा 1 स्नातकोत्तर स्तर एवं 4 तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये है। पिछड़ा वर्ग में 11.23 शैक्षणिक स्कोर अंकित है। वर्त्तमान समय में इस वर्ग में शिक्षा में सुधार हो रहा है। इसका कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की देन है। यद्यपि सामान्य वर्ग से पिछड़ा वर्ग में शिक्षा का स्तर न्यूनतम है। इस वर्ग में यादव, कुर्मी, तेली, कानू, नाई, बनिया एवं मल्लाह जाति वर्ग के परिवार है। इस वर्ग में तेली एवं कुर्मी वर्ग के शिक्षा का स्तर संतोषजनक है। इनका सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति समृद्ध है। यद्यपि वर्त्तमान समय में इस वर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य, वार्षिक आय एवं जीवन प्रत्याशा इत्यादि में सुधार हो रहा है। इसका मुख्य कारण केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रतिफल है। इस वर्ग में विशेषकर मल्लाह वर्ग के शिक्षा का स्तर निम्न है। इसका कारण प्राथमिक उधोग में संलिप्त होना है, ये व्यवसायिक शिक्षा से वंचित रह जाते है। इन्हे शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तत्पश्चात् मुस्लिम जाति वर्ग शैक्षणिक सूचकांक 37.87% के साथ तृतीय स्थान पर स्थित है। इनमे 17 प्राथमिक स्तर, 2 माध्यमिक स्तर, 4 उच्च माध्यमिक स्तर, 9 स्नातक स्तर एवं मात्र 1 तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये है। मुस्लिम वर्ग का शैक्षणिक स्कोर 3.40 अंकित है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, बुनकर, दर्जी, गैराज, कसाई एवं मजदूरी है। इनके जीवन की गुणवता का उपागम दयनीय स्थिति में है तथापि वर्त्तमान सरकार के आरक्षण आधारित प्रावधानों के कारण इनके शैक्षणिक स्तर मे सुधार हुआ है, फिर भी सामान्य वर्गों की तुलना में निम्नतर है। अनुसूचित जाति वर्ग में शैक्षणिक सूचकांक 32.31% आंकलित की गई है जो निम्नतम है। इनमे 39 प्राथमिक स्तर, 4 माध्यमिक स्तर, 12 उच्च माध्यमिक स्तर तथा 10 स्नातक स्तर एवं 1 स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा ग्रहण किये है। इस वर्ग का शैक्षणिक स्कोर –18.64 परिकलित है जो ऋणात्मक है। इस वर्ग में पासी, धोबी एवं हरिजन परिवार आते है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, इस पर सरकार को ध्यान देने की एवं जागरूकता की आवश्यकता है। समाज में पिछड़ने का मुख्य कारण जाति आधारित कर्म एवं मजदूरी से बंधे जीवन की सुविधाओं से परे है।

**तालिका–01**

**अकबरपुर ग्राम : शैक्षणिक स्तर**

**समग्र शिक्षा का स्तर**

| समग्र समुदाय | साक्षर | प्राथमिक स्तर | माध्यमिक स्तर | उच्च माध्यमिक स्तर | स्नातक स्तर | स्नाकोत्तर स्तर | तकनीकी स्तर | औसत भारित मूल्य | शैक्षणिक सूचकांक | शैक्षणिक स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| सामान्य वर्ग | 49 | 12 | 24 | 42 | 44 | 0 | 0 | 20.33 | 41.49 | 13.97 |
| पिछड़ा वर्ग | 118 | 53 | 28 | 63 | 100 | 5 | 24 | 45.5 | 38.55 | 11.23 |
| अनुसूचित जाति वर्ग | 66 | 39 | 8 | 36 | 40 | 5 | 0 | 21.33 | 32.31 | –18.64 |
| मुस्लिम वर्ग | 33 | 17 | 4 | 12 | 36 | 0 | 6 | 12.5 | 37.87 | 3.40 |
| कुल साक्षर | 266 | 121 | 32 | 51 | 55 | 2 | 5 | 99.66 | – | – |

**तालिका–02**

**स्त्री शिक्षा का स्तर**

| समग्र समुदाय | साक्षर | प्राथमिक स्तर | माध्यमिक स्तर | उच्च माध्यमिक स्तर | स्नातक स्तर | स्नाकोत्तर स्तर | तकनीकी स्तर | औसत भारित मूल्य | शैक्षणिक सूचकांक | शैक्षणिक स्कोर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| सामान्य वर्ग | 21 | 5 | 10 | 24 | 12 | 0 | 0 | 8.5 | 40.48 | 10.44 |
| पिछड़ा वर्ग | 48 | 21 | 18 | 26 | 20 | 0 | 6 | 16.83 | 35.07 | –3.57 |
| अनुसूचित जाति वर्ग | 19 | 10 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 6.16 | 32.42 | –7.45 |
| मुस्लिम वर्ग | 16 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5.33 | 33.31 | –5.69 |
| कुल साक्षर | 104 | 46 | 17 | 25 | 15 | 0 | 1 | 36.82 | – | – |

वही तालिका–02 के निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि सामान्य वर्ग में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर सामान्य है इस वर्ग में बुजुर्ग महिलाओं के साथ–साथ बालिकाएँ भी शिक्षित है। सामान्य वर्ग का शैक्षणिक सूचकांक 40.48% परिकलित किया गया है। अन्य तीन वर्गों में पिछड़ा वर्ग (35.07%), अनुसूचित जाति वर्ग (32.42%) तथा मुस्लिम का (33.31%) की तुलना में सर्वाधिक शिक्षित वर्ग है। सामान्य वर्ग में 5 प्राथमिक स्तर, 5 माध्यमिक स्तर, 8 उच्च माध्यमिक स्तर तथा 3 स्नातक स्तर तक की स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त की है। इनका शैक्षणिक स्कोर 10.44 आंकलित है। इनके गुणवत्ता का कारण प्राचीन समय से ही इन जातियों की समाज में अन्य जातियों की अपेक्षा सम्पन्न स्थिति थी। इनमें व्यवसाय, वार्षिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वाहन एवं पेय जल की सुविधा इत्यादि की उपलब्धता थी। इसका कारण सामान्य वर्ग के पास

कृषि भूमि की स्वामित्व स्थिति सम्पन्न थी। यद्यपि किसी परिवार का एक भी व्यक्ति शिक्षित, जागरूक हो तो उस परिवार की भावी पीढ़ी विकसित होती जाती है। यही कारण है कि इनकी स्थिति पीढ़ी–दर–पीढ़ी शिक्षित होते रहे है।

ज्ञातव्य है कि सामान्य जातियों की तुलना में पिछड़ा वर्ग का शैक्षणिक सूचकांक 35.4% के साथ द्वितीय स्थान पर स्थित है। इनमें 21 प्राथमिक स्तर, 9 माध्यमिक स्तर, 12 उच्च माध्यमिक स्तर, 5 स्नातक स्तर तथा मात्र 1 तकनीकी स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। इस वर्ग में शैक्षणिक स्कोर –3.57 अंकित है। इसमें स्त्री शिक्षा स्तर ऋणात्मक दृष्टव्य है। इनकी स्थिति पूर्व की भाँति वर्त्तमान में भी यथावत है। तथापि वर्त्तमान समय में इस वर्ग में शिक्षा, स्वास्थ्य, वार्षिक आय एवं जीवन प्रत्याषा इत्यादि में सुधार हो रहा है। इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं–मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (2007–08), मुख्यमंत्री शताब्दी बालिका पोशाक योजना (2011–12) एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (2008–09)[8] इत्यादि है। फिर भी इस पर सरकार को ध्यान देने एवं इन्हें जागरूक होने की आवष्यकता है। ततपश्चात् मुस्लिम जाति वर्ग की शैक्षणिक सूचकांक 33.31% तृतीय स्थान पर स्थित है। इनका शैक्षिक स्तर 10 प्राथमिक स्तर, 1 माध्यमिक स्तर एवं 5 स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण किये है। इस वर्ग में शैक्षणिक स्कोर –5.69 है। इस वर्ग में भी स्त्री शिक्षा स्तर ऋणात्मक प्रतीत हो रहा है। इसका कारण जनसंख्या की गुणवत्ता के उपागम का प्रभाव दयनीय स्थिति है, तथापि अनुसूचित वर्ग की शैक्षणिक सूचकांक 32.42% के साथ निम्नतम पायदान पर स्थित है। इस वर्ग में 10 प्राथमिक स्तर, 2 माध्यमिक स्तर, 5 उच्च माध्यमिक स्तर तथा 2 स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण की है। इनका शैक्षणिक स्कोर –7.45 अंकित है। समग्र रूप से इन जातियों की स्थिति पूर्व की तरह वर्त्तमान में भी दयनीय है। ये समूह पूर्व से ही सामाजिक प्रभेद के शिकार रहे है। जिसका नकारात्मक प्रभाव इनके मनोदशा पर व्याप्त है। यह वर्ग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए है। वर्त्तमान समय में भी इनकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इनके जीवनशैली पर भारतीय रूढ़िवादिता का प्रभाव दृष्टव्य है। इनका जीवन सदियों से शोषित एवं उत्पीड़ित रहा है।

हालांकि स्त्रियों की साक्षरता दर पुरूषों की तुलना में न्यूतर है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। जिस परिवार में स्त्री साक्षर होगी उस परिवार का गुणात्मक विकास भी अग्रसर होगा। यहाँ स्त्री शिक्षा का स्तर संतोषप्रद नहीं है। इसका कारण हमारे समाज में स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी प्रथाएँ एवं सामाजिक कुरीतियाँ है।

राज्य में पिछले 70 वर्षों में स्त्री शिक्षा में प्रगति हुई है। यद्यपि अभी भी पुरूष की अपेक्षा स्त्रियों में शिक्षा का स्तर निम्न है। इसके लिए अनेक व्यक्तिगत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण उत्तरदायी है, जो निम्न है:–

- बालिकाओं के शिक्षा के प्रति उदासीन विचार के कारण बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होती है। बालिकाओं पर अनेक पाबंदियां लगाई जाती है। उन्हे उपदेश दिए जाते है कि उन्हे आज्ञाकारी, सहनशील, शर्मीली तथा विनीत होना चाहिए। बड़े हो जाने पर उन्हे पर्दे में रहने को बाध्य भी होना पड़ता हैं।
- गरीब परिवारों में लड़कियों को एक आर्थिक परिसम्पति के रूप में देखा जाता है। उनके लिए बालिकाओं को स्कूल भेजना आर्थिक पक्ष के प्रभावित करने के समान होता है। गरीबी में कम आयु में ही माँ के साथ बालिकाओं को भी श्रम साध्य कार्यो मे लगा देना आम बात है क्योंकि गरीब परिवारों के सोपान में रोटी की व्यवस्था करना प्राथमिक लक्ष्य होता है एवं शिक्षा प्राप्त करना द्वितीयक।
- स्कूल/कॉलेज अधिक दूरी होने पर बालिकाओं को भेजना आर्थिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टि से अव्यवहारिक होता है।

- विद्यालय अवसंरचना का अभाव होने के कारण जैसे मूलभूत सुविधाएँ भी बालिकाओं की शिक्षा के स्तर को प्रभावित करती है।
- विवाह के बाद बालिकाओं अक्सर स्कूल का छूट जाता है। ऐसे में यदि उनका विवाह कम उम्र मे होता है तो शिक्षा का स्तर प्रभावित होती है।

वर्त्तमान में स्त्री शिक्षा के उन्नयन एवं गुणात्मक विकास के लिए निम्न सुझाव है :–

- बाल–विवाह जैसी परम्पराएँ समाप्त होनी चाहिए।
- दूर शिक्षा का व्यापक नेटवर्क विकसित करना होगा ताकि लड़किया घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सके।
- गरीबी रेखा के नीचे जो अभिभावक गुजर–बसर कर रहे है उन पर से शिक्षा का बोझ पूरी तरह से खत्म करना आवश्यक है। यद्यपि सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रावधान है। यद्यपि ये परिवार शुल्क के अतिरिक्त खर्च भी वहन नही कर पाते है। माता–पिता को लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूक होना होगा। परिवार का यह दृष्टिकोण है कि लड़कियों को अधिक न पढ़ाया जायें, न्यायोचित नहीं है। जिन परिवारों में अभी बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी रूढ़ियों का प्रचलन है उसको समाप्त करना होगा।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के शिक्षा संस्थानों का विस्तार किया जायें ताकि कम दूरी पर लड़कियों को शिक्षा सुलभ हो सकें।

यद्यपि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का लाभ भी मिल रहा हैं। तथापि इसके साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थाएँ, स्वयं सेवी संस्थाएँ, समाज सेवी संस्थाएँ एव हम सभी इन प्रयासों में सहयोग दें।

## निष्कर्ष

उत्तर बिहार के अकबरपुर ग्राम का शैक्षणिक स्तर सभी वर्गो में समान रूप से नहीं है। सामान्य जाति में अन्य जाति वर्गों की अपेक्षा शैक्षिक स्तर अधिक समुन्नत है। यद्यपि समग्र रूप से प्रत्येक सामाजिक वर्ग के मध्य विषमता विद्यमान है। प्राचीन समय में जिन परिवारों के पास सामाजिक एंव आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध थे उन परिवारों का शैक्षिणिक स्तर वर्त्तमान समय में भी सुढ़ृढ़ है। इसके विपरीत सुविधाओं से वंचित परिवार पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं मुस्लिम वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान सरकार द्वारा क्रियान्वित है, तथापि सामान्य रूप में आरक्षण से सभी वर्ग लाभान्वित नहीं हुए।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि जिन परिवारों के पास पूर्व में शिक्षा व्याप्त था, उन परिवारों में स्त्री शिक्षा का उन्नयन होता रहा है तथा जिस परिवार में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है, उस परिवार की महिलाओं कि शैक्षिणिक स्तर निम्नतर है।

## संदर्भ सूची:


1. सिन्हा, वी० पी०, एन० मोहम्मद, पी० चन्द्रशेखर एण्ड ए० पी०, फिरोज 2021: जियोग्राफी ऑफ बिहार, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ० स०–02
2. कुरूक्षेत्र अगस्त 2013 : पृ० स०–03
3. पूर्वोद्धत : पृ० स०–05
4. लाल रमन, बिहारी 2004 : फिलॉसफी एण्ड सोशलॉजिकल प्रिन्सिपल्स ऑफ एडुकेशन, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ
5. सिंह, डॉ० सीताराम 2012 : पंचायती राज व्यवस्था एवं सुशासन, बिहार हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी, पटना
6. जोशी, आर० पी० 2002 : भारत में पंचायती राज–राजस्थान, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ० सं०–85
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 : पृष्ठ–05
8. कुमार रजनीश 2021 : नेशनल पब्लिकेशन खजांची रोड, पटना, पृ०–पृ०–176–177